रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2011/आश्विन 20, 1933
No. 566] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 756(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), दूसरा संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 में, उप-नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) ये उक्त नियमों के प्रकाशन से पूर्व लोक वित्तपोषित परियोजनाओं और निर्मित, प्रचालित और अंतरित (वार्षिकी) परियोजनाओं से संबंधित करार और निष्पादित संविदा तथा आमंत्रित निविदाओं को लागू होंगे ।" ।

3. उक्त नियम के नियम 2 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) "निर्मित, प्रचालित और अंतरित (वार्षिकी) परियोजना" से, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाइपास या सुरंग के किसी भाग से संबंधित ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए राजमार्ग के भाग के संनिर्माण के लिए वार्षिक अनुदान के संदाय के लिए किसी रियायतग्राही से करार किया गया है ।" ।

4. उक्त नियम के नियम 4 में, उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) 11 सितम्बर, 1956 को या इसके पश्चात् किन्तु 5 दिसम्बर, 2008 से पूर्व लोक वित्तपोषित परियोजना या निर्मित, प्रचालित और अंतरित (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से संनिर्मित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें बाइपास या सुरंग सम्मिलित है, के किसी भाग के उपयोग के लिए फीस की दर वही होगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग के लिए उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में उपबंधित हैं और नियम 5 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षण किया जाएगा; और

(ख) 11 सितम्बर, 1956 को या इसके पश्चात् किन्तु 5 दिसम्बर, 2008 से पूर्व लोक वित्तपोषित परियोजना या निर्मित, प्रचालित और अंतरित (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से संनिर्मित स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस की दर वही होगी जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व लागू है और नियम 5 के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षण किया जाएगा ।

परंतु इस बात के न होते हुए कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग या पुल के किसी भाग को पुन: लेन के उन्नयन के लिए जिम्मा लिया गया है या नहीं, उक्त नियम के प्रारंभ से पूर्व संनिर्मित किसी लोक वित्तपोषित परियोजना या किसी निर्मित, प्रचालित और अंतरित (वार्षिकी) परियोजना के माध्यम से संनिर्मित के माध्यम से संनिर्मित ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाइपास या सुरंग के किसी भाग के उपयोग के लिए फीस की दर में वृद्धि, ऐसे आरंभ से तत्काल पूर्व लागू फीस की दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का

अवधारण और संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 के प्रारंभ के पश्चात् नहीं की जाएगी और आगे वार्षिक वृद्धि किसी भी दशा में ठीक पूववर्ती वर्ष में लागू दर के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।" ।

[सं.आर.डब्ल्यू/एनएच-25011/17/2009-पीएंडपी(भाग-III)]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल नियम संख्या सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 और सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

G. S. R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) They shall apply to the agreement and contracts executed and bids invited relating to Public funded projects and the build, operate and transfer (annuity) projects prior to the publication of the said rules.".

3. In the said rules, in rule 2, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ba) "build, operate and transfer (annuity) project" means a project relating to any Section of a national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, for which an agreement is entered into with a concessionaire, for payment of annual grant for construction of section of highway ;".

4. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6) Notwithstanding anything contained in this rule,—

(a) the rate of fee for use of a Section of a national highway consisting of bypass or tunnel constructed on or after 11th September, 1956 but before 5th December, 2008, through public funded project or build, operate and transfer (annuity) project, shall be the same, as provided in sub-rule (2) and (3) for the Section of a national highway, and, shall be revised in accordance with the provisions of rule 5; and

(b) the rate of fee for use of permanent bridge constructed on or after 11th September, 1956 but before 5th December, 2008, through public funded project or build, operate and transfer (annuity) project. shall be the same as applicable prior to the commencement of these rules, and, shall be revised in accordance with the provisions of rule 5:

Provided that notwithstanding whether the Section of the national highway or the bridge has been taken for further lane upgradation or not, the increase in the rate of fee for use of a Section of such national highway, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through any public funded project or any build, operate and transfer (annuity) project constructed before the commencement of the said rules, shall not be increased after the commencement of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment, Rules, 2011 by more than twenty-five per cent of the rates of fee applicable immediately before such commencement and further annual increase shall in no case be more than twenty-five per cent of the rate applicable in the immediately preceding year.".

[No. RW/NH-25011/17/2009-P&P(Part-III)]

SANJAY BANDOPADHAYA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 838(E), dated the 5th December, 2008 and amended *vide* G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010 and G.S.R. 15(E), dated 12-1-2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.